न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
938 / 2024

दायर दिनांक

निर्णय दिनांक
19-12-24

उनवान

1. प्यारचंद पुत्र गोकल जाति सुथार, उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ गाडरमाला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. बरदु पुत्र गोकल जाति सुथार, उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ गाडरमाला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. कमला पत्नी राम लाल जाति दरोगा, उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ गाडरमाला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. किशन पुत्र राम लाल जाति दरोगा, उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ गाडरमाला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. राजु पुत्र राम लाल जाति दरोगा, उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ गाडरमाला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. शंकर पुत्र राम लाल जाति दरोगा, उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ गाडरमाला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. भैरू पुत्र रतन जाति दरोगा, उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ गाडरमाला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. सीता पत्नी रतन जाति दरोगा, उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ गाडरमाला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. हिम्मत पुत्र रतन जाति दरोगा, उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ गाडरमाला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. मंजु पुत्री रतन जाति दरोगा, उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ गाडरमाला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी श्री रतन लाल गाडरी
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08 उपस्थित नहीं

–: **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम** :–

–: **निर्णय** :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भोपालगढ प0ह0 भोपालगढ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 435 की अभिलिखित आराजियात 1721, 1722 कुल किता 02 कुल रकबा 0.6576 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा भोपालगढ प0ह0 भोपालगढ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 435 की अभिलिखित आराजियात 1721, 1722 कुल किता 02 कुल रकबा 0.6576 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 19-12-24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
895 / 2024

दायर दिनांक
25.10.2024

निर्णय दिनांक
18-12-2024

उनवान

1. महावीर पुत्र लादूलाल तेली जाति तेली उम्र वयस्क निवासी बलियाखुर्द तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. सुरेशचन्द्र पुत्र हजारीलाल तेली जाति तेली उम्र वयस्क निवासी बलियाखुर्द तह0 एवं जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1. पेमा पुत्र मूला तेली जाति तेली उम्र वयस्क निवासी आमा तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
2. किस्मत प्रजापत पत्नी राजाराम प्रजापत उम्र वयस्क निवासी आमा तह0 सवाईपुर जिला भीलवाडा
3. सरफ पिता छोटे खां उम्र वयस्क निवासी आमा तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सवाईपुर जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी श्री मनमोहन शर्मा
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 03 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आमा प0ह0 आमा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बड़लियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 657 की अभिलिखित आराजियात 16 / 1, 16 / 8, 1816 / 16 कुल किता 03 कुल रकबा 1.6107 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 03 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार सवाईपुर को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा आमा प0ह0 आमा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 657 की अभिलिखित आराजियात 16/1, 16/8, 1816/16 कुल किता 03 कुल रकबा 1.6107 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार सवाईपुर को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार सवाईपुर को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा